न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 110/2017 (225 आरटीए) धर्माराम बनाम घमण्डाराम वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00238)

धर्माराम पुत्र श्री देवाराम जाति जाट निवासी उस्तरा, तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर हाल निवासी रूदिया तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर।

..... अपीलांट

बनाम

1 घमण्डाराम पुत्र श्री गोपाराम,
2 मांगीलाल पुत्र श्री गोपाराम,
3 धनाराम पुत्र श्री गोपाराम,
4 सुखाराम पुत्र श्री गोपाराम,
सभी जातियान जाट निवासीगण उस्तरा तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर।
5 भूमिधारी जरिए तहसीलदार भोपालगढ़।

..... रेस्सपोडेंटस्

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ दिनांक 19.06.2017 अंतर्गत राजस्व वाद सं. 2/2015

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई।
2 रेस्पो. सं. 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री अर्पित भूत।
3 रेस्पो. सं. 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 31.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ के राजस्व वाद सं. 2/2015 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन

31/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

करने के लिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम भी पेश किया गया।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ के समक्ष धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं तरमीम करने हेतु अपीलांट की ओर से राजस्व वाद सं. 2/2015 पेश कर कथन किया कि ग्राम उस्तरा की सरहद में खसरा नं. 760/3 रकबा 1 बीघा भूमि गैर मुमकिन बाड़ा वादी व प्रतिवादी सं. 2 से 4 की खातेदारी एवं कब्जा का है। उक्त भूमि पूर्व में वादी व प्रतिवादी सं. 2 से 4 के पिता गोपाराम के खातेदारी की थी। गोपाराम के देहांत के बाद उनके पुत्रों की खातेदारी में दर्ज हुई। उक्त बाड़ा का बंटवारा भी मौके पर किया गया। इस बाड़े के दक्षिण में रास्ता भी उपलब्ध है। आगे कथन किया कि प्रतिवादी सं. 1 बदमाश प्रवृति का है सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर गांव के लोगों व वादी को परेशान करता है। दिनांक 25.12.2014 को वादी के बाड़े में अतिक्रमण करने की कोशिश की एवं जान से मारने की धमकी दी व बाड़े के दक्षिण में अतिक्रमण कर रास्ता बंद कर दिया जिसकी शिकायत की। अंत में निवेदन किया कि वाद वादी डिक्री फरमाया जावे एवं खसरा नं. 760/3 रकबा 1 बीघा भूमि जिसके दक्षिण की तरफ वादी के कब्जे में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करने की निषेधाज्ञा चाही एवं रास्ता नहीं रोकने बाबत भी निषेधाज्ञा की मांग की। वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिए जबाब प्रस्तुत कर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई एवं प्रतिवादी सं. 2 से 4 की ओर से जबाब प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से जबाब प्रस्तुत कर वादी के कथनों का खण्डन करते हुए जबाब प्रस्तुत किया एवं प्रतिवादी सं. 3 व 4 की ओर से इकबाली जबाब प्रस्तुत किया गया। जबाब दावा प्रस्तुत होने के बाद पत्रावली दिनाक 19.06.2017 को प्रशासन आपके द्वार शिविर में रखी गई जहां वाद वादी स्वीकार कर लिया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2017 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

31/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि आलोच्य आदेश दिनांक 19.06.2017 विधि विरुद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व दस्तावेजात के विपरीत होने से काबिले निरस्त है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सहमति के पत्रावली न्याय आपके द्वार शिविर मे रखकर निस्तारित करने में भूल की है। लोक अदालत अभियान 2017 में प्रकरण केवल राजीनामे के जरिए निस्तारित किए जा सकते हैं। हस्तगत प्रकरण में स्वीकार्य तौर पर वादीगण अनुपस्थित थे इसलिए आपसी सहमति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। द्वितीय अगर प्रकरण गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना था तो वाद पत्र में सर्व प्रथम तनकीयात कायम की जाती तत्पश्चात तनकीवार विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया जाता परंतु हस्तगत प्रकरण में उक्त विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई एवं मनमाने तरीके से आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित किया है, जहां प्रतिवादी का कब्जा है वह भूमि आबादी की है एवं ग्राम पंचायत उसकी मालिक है। जिसको वाद में पक्षकार नहीं बनाया एवं उनके पीठ पीछे आदेश पारित किया है। विवादित स्थल के बाबत दीवानी वाद सिविल न्यायाधीश पीपाड़ शहर के न्यायालय में लंबित चल रहा है जिसके साथ ही दीवानी विविध प्रार्थना पत्र भी लंबित है। उक्त प्रार्थना पत्र में दिनांक 04.10.2016 से ही निषेधाज्ञा विरुद्ध भूमिधारी तहसीलदार के पारित की हुई है। उक्त वाद एवं प्रार्थना पत्र में घमण्डाराम स्वयं ने पक्षकार बनाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसको दिनांक 27.09.2016 को बल नहीं देते हुए खारिज करवाया। इस प्रकार वादी धर्माराम ने तथ्यों को छुपाकर आदेश पारित करवाया है। वादी का वाद गैर मुमकिन बाड़ा की भूमि के तरमीम के बाबत प्रस्तुत किया है। जबकि गैर मुमकिन बाड़ा की भूमि बाबत वाद को श्रवण करने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय केवल कृषि भूमि के बाबत ही वादों को श्रवण कर निस्तारित कर सकता है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को बिना प्रमाणित करवाए ही निर्णय करने में भारी भूल की है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि बिना वाद के प्रमाणित हुए आदेश पारित नहीं किया जा सकता। खेत खसरा नं. 760 बहुत बड़ा भू–भाग है जिसमें से 10 बीघा भूमि आबादी हेतु आवंटित की गई है एवं रास्ते हेतु भी भूमि अलग आवंटित है। प्रतिवादी का कब्जा

3/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आबादी भूमि में हैं उसको निषेधाज्ञा से हटाना चाहते हैं जबकि सर्वप्रथम तो अधीनस्थ न्यायालय का कर्तव्य था कि खसरा नं. 760 के बाबत वास्तविक रिपोर्ट तलब की जाती एवं तत्पश्चात मौके की स्थिति के अनुसार वाद का निस्तारण किया जाता। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं किया एवं आबादी भूमि के बाबत आदेश पारित कर दिया जो बिना क्षेत्राधिकारिता का है। एवं नैसिर्गिक न्याय के सिद्धांतों की पालना किए बिना ही आदेश पारित किर दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.06.2017 अपास्त करने का निवेदन किया।

अपीलांट के अधिवक्ता ने धारा–5 के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। न्याय आपके द्वार शिविर में उपस्थिति बाबत अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गई इसलिए राजीनामे हेतु अपीलांट उपस्थित नहीं हो सका। अधिवक्ता ने भी कोई सूचना नहीं दी। दिनांक 28.08.2017 को अपीलांट ने आदेश होने की अफवाह गांव में सुनी तब तुरंत प्रभाव से उसी समय अधिवक्ता के पास गया एवं जानकारी चाही तब नकल दिनांक 30.08.2017 को प्राप्त की गई व उसके बाद जबाब दावे आदि की नकले भी दिनांक 05.09.2017 को प्राप्त की गई व उसके बाद अपील तैयार करवा कर दिनांक 18.09.2017 को पेश कर दी गई। प्रार्थी/अपीलांट ने जानबूझकर अपील पेश करने में बिलंब नहीं किया है उक्त बिलंब सद्भावी था जो क्षम्य योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार करने का निवेदन किया।

5 रेस्पो. सं. 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री अर्पित भूत ने बहस में कथन किया कि दावे के तथ्यों को व दावे को प्रतिवादी सं. 3 व 4 ने स्वीकार कर वादी के प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य बताया है। वादी उक्त आराजी के दक्षिणी हिस्से में वादी के कब्जे में किसी प्रकार की दखलंदाजी रोकने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा चाही तथा सार्वजनिक रास्ते को बाधित करने से रोकने के लिए आदेश चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने माना कि उक्त आराजी वादी व प्रतिवादी सं. 2 से 4 की खातेदारी कब्जा की भूमि है जिस पर वादी स्थाई निषेधाज्ञा चाहता है व उक्त रिलीफ पर प्रतिवादी सं. 1 के अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष कोई आपत्ति नहीं की। अतः प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने के कारण अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है जिसके विरुद्ध अपील में नहीं जा सकती। प्रतिवादीगण की

31/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

स्वीकारोक्ति अर्द्ध न्यायिक कार्यवाही है जिस पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। अपीलाधीन निर्णय लोक अदालत शिविर में पारित किया गया है। जो लीगल सर्विसेज अथोरिटी एक्ट 2017 की धारा 21 के तहत पारित किया गया है जिसके अनुसार निर्णय की अपील नहीं की जा सकती बल्कि इसके लिए केवल रिट की जा सकती है। अतः अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में अपील मैंटेनेबल नहीं हैं। रेस्पो. के अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2008 ए.आई.आर, एस.सी. 1209 पेश किया।

6 अपीलांट के अधिवक्ता ने पुनः बहस (रिपीटल) में रेस्पो. के अधिवक्ता की बहस का जबाब देते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं ने यह माना है कि यह लोक अदालत के तहत निर्णय नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में यह स्पष्ट अंकित है कि पत्रावली आज कैंप कोर्ट उस्तरा में पेश हुई। पत्रावली में वकील प्रतिवादी उपस्थित, वादी बावजूद सूचना अनुपस्थित। पत्रावली का न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत अभियान 2017 के तहत गुणावगुण मैरिट के आधार पर निस्तारण हेतु अध्ययन किया गया। इससे स्पष्ट है कि न्यायालय ने लोक अदालत के तहत निर्णय नहीं किया बल्कि मैरिट पर निर्णय किया है। यह भी स्पष्ट है कि वादी उपस्थित नहीं था तो कोई राजीनामा नहीं हुआ अतः अपीलाधीन निर्णय के खिलाफ रिट में नहीं जा सकते। अतः यह अपील मैंटेनेबल है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया।

6 रेस्पो. सं. 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 यह अपील सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध की गई है। डिक्री की अपील धारा 223 के तहत होती है। जबकि अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील धारा 225 के तहत प्रस्तुत की है। अपीलांट ने डिक्री पर्चा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की है और न ही डिस्पेंसविद करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया

31/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है। यदि यह अपील धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश होती तो निर्णय के ऑपरेटिव पोर्शन को डिक्री माना जा सकता था परंतु यह अपील धारा 225 में की गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनयिम की धारा 225 इस प्रकार है :

225. आदेश के विरुद्ध अपीलें – (1) तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्वरूप के आवेदन पत्र पर पारित अंतिम आदेश तथा ऐसे आदेश जो कि अधिनियम की धारा 212 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 104 में उल्लिखित हैं के विरुद्ध अपील– (i) यदि आदेश तहसीलदार ने दिया है तो कलेक्टर के यहां, (ii) यदि ऐसा आदेश सहायक कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी या कलेक्टर ने दिया है तो राजस्व अपील अधिकारी को और (iii) यदि ऐसा आदेश राजस्व अपील प्राधिकारी ने दिया है तो राजस्व मण्डल को होगी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 तृतीय सूची में दावे के अंतर्गत आती है जबकि धारा 225 के अनुसार तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्वरूप के आवेदन पत्र पर पारित अंतिम आदेश पर ही अपील हो सकती है। अतः प्रस्तुत अपील धारा 225 में मैंटेनेबल नहीं होने के कारण खारिज योग्य है। यह अपील इसी बिंदु पर खारिज योग्य पाई जाती है अतः अपील के अन्य बिंदुओं पर विवेचन की आवश्यकता नहीं हैं।

9 अतः अपील अपीलांट धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मैंटेनेबल नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।

31/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

10 निर्णय आज दिनांक 31.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर